पीआर के लिए विश्वसनीयता और ऑनेस्टी जरूरी गुणः पाठराबे

पत्रकारिता के लिए पीआर बहुत जरुरीः प्रो. सुरेश

भोपाल (काप्र)।

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर गवर्नमेंट पीआर इन डिजिटल एज विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया।

विज्ञापन एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लता मंगेशकर सभागार में आयोजित व्याख्यान की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो डॉ के.जी. सुरेश ने की। मुख्य वक्ता के रूप में पीआईबी के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने अपने विचार व्यक्त किए। कुलपति प्रो. सुरेश ने कहा कि जनसंपर्क के बिना पत्रकारिता नहीं हो सकती। पिछले कुछ सालों से पीआर में बहुत बदलाव आया है। शहरी स्तर ही नहीं ग्रामीण स्तर में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने पीआर को बहुत जरुरी बताते हुए इसके लिए प्रशिक्षण पर बल दिया। सोशल मीडिया इनफ्लूएंसर्स पर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने डिजिटल युग, डिजिटल मीडिया की बात की। साथ ही पत्रकारों के साथ लिए हेल्दी रिलेशनशिप को बहुत ही जरुरी बताया।

पीआईबी के अपर महानिदेशक एवं मुख्य वक्ता प्रशांत पाठराबे ने पीआर के लिए विश्वसनीयता और ऑनेस्टी को जरूरी गुण बताया। उन्होंने कहा कि जो भी संस्थान है, उसमें यदि कुछ भी समस्या आती है तो उस समस्या को कैसे हैंडल करें यह काम पीआर के जरिए करना होता है। उन्होंने एआई के कारण आने वाले दिनों में सब कुछ बदल जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि इससे इको सिस्टम हिल जाएगा। उन्होंने वर्तमान समय में सोशल मीडिया में रहने को भी जरूरी बताया। प्रशांत ने एआई के गुण और दोष दोनों पर प्रकाश डाला। उन्होंने फेक न्यूज और फेक वीडियो पर भी अपने विचार व्यक्त किए। व्याख्यान में विज्ञापन एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विभागीय समाचार पत्र का विमोचन भी किया गया। व्याख्यान के अंत में विज्ञापन एवं जनसंपर्क विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. पवित्र श्रीवास्तव ने आभार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कुलसचिव डॉ. अविनाश वाजपेयी उपस्थित थे।

निरीक्षणः प्रभारी दरोगा व उद्यान सुपरवाइजर को नोटिस

भोपाल (काप्र)।

निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में साफ-सफाई एवं उद्यानिकी का अवलोकन किया और तात्या टोपे नगर, रोशनपुरा, राजभवन, व्ही.आई.पी रोड, लालघाटी, विमानतल मार्ग आदि क्षेत्रों में बेहतर साफ-सफाई कराने, आवश्यकतानुसार फुटपाथ आदि की मरम्मत कराने, टूटी हुई ग्रिल बदलने तथा व्ही.आई.पी रोड फुटपाथ पर वाहन न खड़े होने देने तथा सेंट्रल वर्ज के पेड़-पौधों को व्यवस्थित करने व खरपतवार, घांस-फूंस आदि की सफाई कराने तथा पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

श्री नारायन ने उद्यानिकी कार्यों हेतु तैनात श्रमिकों से पूरी क्षमता के साथ बेहतर उद्यानिकी कार्य कराने तथा पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर उद्यान सुपरवाईजर को नोटिस जारी किए साथ ही वी.सी. के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से चर्चा की और चर्चा के दौरान वार्ड क्र. 76 के प्रभारी दरोगा द्वारा पूर्व में निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन न करने व साफ-सफाई व्यवस्था में सुधार न लाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त स्वास्थ्य योगेन्द्र पटेल, सहायक आयुक्त आनन्द कुमार, अधीक्षण यंत्री सुबोध जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन ने मंगलवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में साफ-सफाई एवं उद्यानिकी सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वी.सी.के माध्यम से तथा समक्ष में

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं स्वच्छता मित्रों व उद्यान विभाग के कर्मचारियों से चर्चा की। श्री नारायन ने राजभवन चौराहा पर आवश्यक मरम्मत कार्य एवं रंगाई-पुताई लोक निर्माण विभाग के साथ समन्वय कर कराने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त श्री नारायन ने मार्गों के किनारे बेहतर साफ-सफाई कराने, रोशनपुरा चौराहा पर ग्रिल लगवाने, स्टेट हैंगर चौराहे पर लगे टूटे हुए बोर्ड को ठीक कराने, मार्ग की टूटी हुई बाउंड्री का मलमा हटाकर उसकी मरम्मत कराने, स्टेट हैंगर के पास कचरा, गंदगी फैलाने वाले गुमठी संचालक पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने वी.सी. के माध्यम से वार्ड क्र. 76 के प्रभारी दरोगा विजय बलुए से चर्चा की और पूर्व में निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन न करने तथा वार्ड की साफ-सफाई व्यवस्था में सुधार न करने पर वार्ड 76 के प्रभारी दरोगा को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया।

निगम आयुक्त श्री नारायन ने व्ही.आई.पी रोड में साफ-सफाई एवं उद्यानिकी कार्यों का अवलोकन किया और व्ही.आई.पी रोड के सेंट्रल वर्ज एवं हरित क्षेत्र में साफ-सफाई व्यवस्था ठीक न पाए जाने तथा खरपतवार व घांस-फूंस के साथ ही पेड़-पौधे अव्यवस्थित पाए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की और सेंट्रल वर्ज, साईड वर्ज व हरित क्षेत्र की बेहतर साफ-सफाई कराने, श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर उद्यानिकी कार्यों एवं सिंचाई आदि बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

46 प्रकरणों में 9 हजार 300 रूपए स्पॉट फाइन वसूला

नगर निगम द्वारा साफ-सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध स्पॉट फाईन की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी तारतम्य में मंगलवार को निगम अमले ने विभिन्न वार्ड क्षेत्रों में साफ-सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरूद्ध स्पॉट फाईन की कार्यवाही करते हुए 46 प्रकरणों में 09 हजार 300 रुपये की राशि वसूल की।

निगम आयुक्त हरेंद्र नारायन द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में निगम के अमले द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में साफ-सफाई व्यवस्था को बनाए रखने हेतु निरंतर निरीक्षण एवं निगरानी की जा रही है और सार्वजनिक स्थलों पर कचरा, गंदगी फैलाने वालों, प्रतिबंधित पॉलीथीन/सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों, भवन निर्माण एवं सी.एण्ड.डी वेस्ट सड़कों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर रखने वालों व हरित अपशिष्ट फैलाने वालों के विरूद्ध स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में जोन क्र. 01 में सार्वजनिक स्थल पर गंदगी करने पर 06 प्रकरणों में 600 रूपये की राशि स्पॉट फाईन के रूप में वसूल की। जोन क्र. 02 के अमले ने सड़क पर कचरा फेंकने वाले के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 01 प्रकरण में 200 रूपये की राशि स्पॉट फाईन के रूप में वसूल की। जोन क्र. 03 में प्रतिबंधित पालीथीन का उपयोग, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, सड़क पर गंदगी फैलाने, खुले में मूत्र त्यागने, कचरा पृथक-पृथक न रखने तथा सीएंडडी वेस्ट आदि के 14 प्रकरणों में 01 हजार 500 रूपये की राशि वसूल की। जोन क्र. 04 में सड़क पर कचरा फेंकने के 01 प्रकरण में 500 रूपये की राशि वसूल की। जोन क्र. 14 के अंतर्गत आने वाले वार्डों में कार्यवाही करते हुए गंदगी फैलाने, प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग करने, हरित कचरा सार्वजनिक स्थल पर फेंकने सहित कुल 24 प्रकरणों में 06 हजार 500 रुपये की राशि वसूल की। इस प्रकार निगम के अमले ने कुल 46 प्रकरणों में 09 हजार 300 रूपये की राशि स्पॉट फाईन के रूप में वसूल की।

नागर ब्राह्मण समाज द्वारा हाटकेश्वर जयन्ती चल समारोह

भोपाल (काप्र)।

नागर ब्राह्मण समाज भोपाल के तत्वाधान में आज ऐतिहासिक चल समारोह इष्टदेव भगवान हाटकेश्वर का दस नंबर अरेरा कॉलोनी से निकाला गया।

सर्वप्रथम भगवान हाटकेश्वर जयंती के उपलक्ष्य में अभिषेक समाज के संगीता विनोद नागर एवं श्रीमती सीमा दिनेश जोशी द्वारा संपन्न कराया गया। उसके पश्चात् इष्टदेव चल समारोह निकाला गया, जिसमें समाजजन लाल-पीले परिधान में भजन गाते नाचते चल रहे थे। सभी कार्यक्रम की अध्यक्षता मनोज झा द्वारा की गई, पंकज रावल ने कार्यक्रम का संचालन किया।

तत्पश्चात् समाज की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें पवन मेहता अध्यक्ष मध्यप्रदेश नागर

ब्राह्मण समाज भोपाल संभाग, विनोद नागर, राम कृष्ण मेहता, कृष्ण नागर, श्रीमती मनीषा चौबे व दीपक झा ने अपने अपने विचार रखे। अध्यक्ष मनोज झा ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों का विवरण पेश किया और स्वेच्छा से जो समाज की बागडोर संभाले उसको आगे आने का आव्हान किया। श्रीमती तृप्ता रावल ने महिला अध्यक्ष हेतु श्रीमती पारुल नीरज याग्निक के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका महिलाओं ने अनुमोदन किया। रविंद्र पंचोली ने रवीन्द्र शर्मा को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका मनोज ने समर्थन किया। कार्यक्रम में समस्तजन परिवार सहित उपस्थित थे। कार्यक्रम में नीरज चौबे महासचिव नागर ब्राह्मण समाज द्वारा आभार प्रकट किया गया।

खाद्य सुरक्षा के बारह प्रकरणों में 2 लाख 30 हजार रुपए अर्थदण्ड

भोपाल (काप्र)।

निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चन्द्र के निर्देशन में सहायक खाद्य अधिकारी द्वारा कुल 12 प्रकरणों में नमूने अवमानक, मिथ्याछाप, बगैर खाद्य पंजीयन के खाद्य सामग्री का व्यवसाय किये जाने अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में व्यवसाय किये पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आदेश पारित करते हुए 2 लाख 30 हजार रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

मंगलवार को रिमिक्स लाउंज डीके-5/289, दानिश कुंज 40 हजार,आर.के. डेयरी, दुकान नम्बर-4 144, चिकलोद रोड, जहांगीराबाद भोपाल 10 हजार रुपये, गौरव दूध डेयरी, शॉप नम्बर 2, म.न. 386, अब्बास नगर, गांधी नगर 10 हजार रुपये,32 डिग्री/ओंकार रीक्रियेशन नार्थ ईस्ट रेस्ट्रो लॉन्ज, खुदागंज, केरवा डेम रोड 40 हजार रुपये, विक्की किराना, 21 कुम्हार पुरा मंगलवारा 20 हजार रुपये, जैन किराना जनरल स्टोर शाप नम्बर-5 सोनागिरी 5 हजार रुपये, देव अधिकारी स्ट्रीट फूड कार्नर, शॉप नम्बर बी-15 एण्ड 14 नगर निगम मार्केट, नेहरू नगर 5 हजार रुपये, भोपाल मेडिकल शॉप नम्बर-04 बजरंग मार्केट, भोजपुर तिराहा, 11 मील 20 हजार रुपये, चौहान किराना स्टोर, शाप नम्बर 55 एवं 56 पी.एण्ड टी. रोड, नेहरू नगर 5 हजार रुपये, इण्डिन कॉफी एण्ड टी कैफे, शॉप नम्बर-2, 80 फीट रोड, मनन होटल के पास, अशोका गार्डन 10 हजार रुपये, शॉप नम्बर-2, नम्बर-7, मयूर विहार, 80 फिट रोड, अशोका गार्डन 40 हजार रुपये, एवर ग्रीन एण्ड रेस्टोरेंट कृषि मण्डी के सामने भैंसाखेड़ी बैरागढ़ 25 हजार रुपये इस प्रकार कुल 2 लाख 30 हजार रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया

एम्स में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर पर जागरुकता कार्यक्रम

भोपाल (काप्र)।

एम्स के कार्यपालक निदेशक प्रो. अजय सिंह के प्रयासों से संस्थान को आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा दुर्लभ बीमारियों के के इलाज के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में मान्यता दी गई है।

सीओई के रूप में मान्यता प्राप्त होने के बाद सरकारी और स्वैच्छिक संगठनों से वित्तीय सहायता के लिए रोगी का पंजीकरण अब यहाँ किया जा सकता है , जिससे महत्वपूर्ण उपचार और अन्य सेवायें आसानी से मिल जाती हैं। एम्स के बाल रोग विभाग द्वारा लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर (एलएसडी) पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लाइसोसोमल स्टोरेज रोग (एलएसडी) चयापचय की जन्मजात त्रुटियां हैं जो लाइसोसोम की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली के कारण विभिन्न अंगों की कोशिकाओं में अधिक मात्रा में सब्सट्रेट के संचय से होती हैं। वे उन अंगों की शिथिलता का कारण बनते हैं जहां वे जमा होते हैं और बड़ी रुग्णता और मृत्यु दर में योगदान करते हैं। ये विकार, हालांकि दुर्लभ हैं किन्तु बचपन से लेकर किसी भी उम्र में प्रकट हो सकते हैं और महत्वपूर्ण जीवन-घातक चुनौतियाँ पैदा कर सकते हैं। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के अनुरूप, इन विकारों के लिए कुछ उपचार उपलब्ध हैं। प्रारंभिक निदान एलएसडी के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, समय पर इलाज के माध्यम से संभावित रूप से जीवन बचाया जा सकता है।

नेशनल लोक अदालत 11 मई को, प्रचार रथ रवाना

भोपाल (काप्र)।

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में 11 मई को वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन एवं लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रचार वाहनों को अमिताभ मिश्र ने जिला न्यायालय भोपाल से हरी डाण्डी दिखाकर रवाना किया। प्रचार

वाहनों द्वारा नेशनल लोक अदालत की जिंगल्स एवं फ्लेक्स बैनर के माध्यम से नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार भोपाल के विभिन्न शहरी व सुदूरवर्ती ग्रामों में किया जाएगा।

इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश राहित जिला न्यायाधीश/सचिव श्रीमती आरती शर्मा, जिला न्यायाधीश कु. शैलजा गुप्ता, जिला न्यायाधीश श्री जैनुल आब्दीन, जिला न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे, जिला रजिस्ट्रार अग्निनंद्र कुमार द्विवेदी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पंकज कुमार श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती निधि चौकसे, जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह तथा विद्युत विभाग के महाप्रबंधक जाहिद खान उपस्थित रहे।

नकली नोटों की सप्लाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार

भोपाल। ग्वालियर की बिजौली थाना पुलिस के हाथ एक नकली नोट का सप्लायर लगा है, जोकि दूध के धंधे की आड़ में इलाके में नकली नोट सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 50 और 100 के नकली नोट बरामद किए हैं। आरोपी कहां से इन्हें लेकर आता था और कहां-कहां सप्लाई करता था इस संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है। ग्वालियर की बिजौली थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि बेरजा गांव के पास एक दूधिया कारोबारी द्वारा नकली नोट चलाए जा रहे हैं। सूचना पर बिजौली थाना प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस अनु बेनीवाल द्वारा मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और आरोपी रणवीर जाटव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 39000 के नकली नोट बरामद किए गए हैं।

न्यायालय नजूल अधिकारी तहसील कोलार भोपाल म.प्र.
स्थान-अनुविभागीय अधिकारी-नजूल अधिकारी कार्यालय डी मार्ट के पीछे कोलार रोड भोपाल
रा.प्र.क्रं./बी-121/2024-25
ग्राम का नाम शाहपुरा तहसील कोलार, जिला भोपाल

सार्वजनिक उद्घोषणा

सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमति शालिनी लालवानी पत्नी श्री भरत लालवानी निवासी ए-73 अलकापुरी हबीबगंज जिला- भोपाल (म. प्र.) ने ग्राम शाहपुरा (शक्ति नगर) तहसील कोलार जिला-भोपाल स्थित भूखण्ड क्रमांक 24 सेक्टर-01 क्षेत्रफल 4000 वर्गफुट नजूल भूमि को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश, 2020 के अंतर्गत स्थायी पट्टाधिकार को भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन किए जाने हेतु आवेदन पत्र न्यायालय अपर कलेक्टर (दक्षिण) भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया है, जो कि इस न्यायालय को जांच प्रतिवेदन हेतु प्राप्त हुआ है। अतः उपरोक्त नजूल भूमि को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश, 2020 के अंतर्गत स्थायी पट्टाधिकार को भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन किए जाने से किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस सार्वजनिक उद्घोषणा जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति न्यायालय नजूल अधिकारी, तहसील कोलार जिला - भोपाल (म.प्र.) स्थान - अनुविभागीय अधिकारी / नजूल अधिकारी कार्यालय डी मार्ट के पीछे कोलार रोड भोपाल में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के बाद किसी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 22/04/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

256 **नजूल अधिकारी तहसीलदार**
तहसील कोलार, जिला-भोपाल

न्यायालय नजूल अधिकारी तहसील कोलार भोपाल म.प्र.
स्थान-अनुविभागीय अधिकारी-नजूल अधिकारी कार्यालय डी मार्ट के पीछे कोलार रोड भोपाल
रा.प्र.क्रं./बी-121/2024-25
ग्राम का नाम शाहपुरा तहसील कोलार, जिला भोपाल

सार्वजनिक उद्घोषणा

सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री विनोद व्यास आत्मज श्री सीताराम व्यास निवासी- 170 / 2 शक्ति नगर जिला- भोपाल (म. प्र.) ने ग्राम शाहपुरा (शक्ति नगर) तहसील कोलार जिला- भोपाल स्थित भूखण्ड क्रमांक नंबर 170 सेक्टर- 02 क्षेत्रफल 6000 वर्गफुट नजूल भूमि को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश, 2020 के अंतर्गत स्थायी पट्टाधिकार को भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन किए जाने हेतु आवेदन पत्र न्यायालय अपर कलेक्टर (दक्षिण) भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया है, जो कि इस न्यायालय को जांच प्रतिवेदन हेतु प्राप्त हुआ है। अतः उपरोक्त नजूल भूमि को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश, 2020 के अंतर्गत स्थायी पट्टाधिकार को भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन किए जाने से किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस सार्वजनिक उद्घोषणा जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति न्यायालय नजूल अधिकारी, तहसील कोलार जिला भोपाल (म.प्र.) स्थान- अनुविभागीय अधिकारी नजूल अधिकारी कार्यालय डी मार्ट के पीछे कोलार रोड भोपाल में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के बाद किसी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 22/04/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

255 **नजूल अधिकारी तहसीलदार**
तहसील कोलार, जिला-भोपाल

कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत्त 02 रतनपुर सड़क, तहसील-कोलार, जिला - भोपाल, म.प्र.
क्र. 02 / रा.नि./ 2024
भोपाल, दिनांक 22.04.2024
ग्राम का नाम शाहपुरा तहसील

सूचना

प्रति, 1. बालमुकुन्द पाटीदार, चेतन पाटीदार आ. श्री मूलचंद पाटीदार नि. मिसरोद 2- श्री शिवनारायण पाटीदार आ. मूलचंद पाटीदार नि. मिसरोद 3- श्री राजकुमार पिता दिलीप सिंह नि. भोपाल 4 - श्री कमलकांत जोशी आ. श्री सेनापति जोशी नि. एफ-11 फारच्यून प्रेस्टीज ई-8 एक्सटेंशन, भोपाल 5- श्री दिलीप सिंह पिता मानसिंह नि. भोपाल 6- श्रीमती गुरमीत कौर पत्नी गुरवचनसिंह नि. 205 मिनाल रेसीडेन्सी, जे. के. रोड भोपाल 7- हल्का पटवारी ग्राम कौडी आप सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय नायब तहसीलदार / अ-12 / 2024-25 में आवेदक श्री बालमुकुन्द पाटीदार, चेतन पाटीदार आ. श्री मूलचंद पाटीदार नि. मिसरोद द्वारा ग्राम कौडी प.ह.नं.- 07, रा.नि.मं - 02रतनपुर सड़क, तहसील-कोलार, जिला-भोपाल में स्थित भूमि खसरा नं. 77, 78, 79, 80, 80 / 224, 81, 84 रकबा क्रमशः 0.2600हे., 0.0800हे.. 0.2000हे. 0.2100हे., 0.2400हे., 2.2600हे., 3.6200हे. भूमि का सीमांकन किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका न्यायालय के आदेश पालन में आवेदित भूमि का स्थल पर सीमांकन कर जांच प्रतिवेदन, पंचनामा, फील्डबुक, नक्शा, सूचना-पत्र के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है। अतः आवेदित भूमि का सीमांकन की कार्यवाही दिनांक 30/04/2024 को आवेदित स्थल पर की जायेगी। जिसके संबंध में सूचना - पत्र जारी किया गया। किसी भी प्रकार का अतिआवश्यक शासकीय कार्य आने पर सीमांकन की कार्यवाही स्थगित की जा सकती है।

254 **राजस्व निरीक्षक, तहसील कोलार, जिला-भोपाल**

कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र-2 भोपाल

आम सूचना

सतलापुर हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, मण्डीदीप जिला रायसेन में भूखण्ड/भवन क्रमांक एच.आई.जी. 09 ए-सेक्टर मण्डल द्वारा सुरेन्द्र शर्मा आत्मज श्री नरेन्द्र शर्मा के नाम हस्तांतरण आदेश क्र. 1163-1165 दिनांक 9.5.2013 को हस्तांतरित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 8.4.2014 को उप पंजीयक कार्यालय औबेदुल्लागंज जिला रायसेन से पंजीकृत है। आवंटी द्वारा लीज नवीनीकरण दिनांक 1.3.2024 को उप पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत करवा ली गई है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, परिचय पत्र, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त सम्पत्ति (1) श्री कुलदीप साहू आत्मज छगनलाल साहू (2) श्री सुरेश मेहरा आत्मज सीताराम (3) श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल आत्मज श्री रमेश चन्द्र खंडेलवाल के संयुक्त नाम हस्तांतरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं एवं उप पंजीयक कार्यालय औबेदुल्लागंज जिला रायसेन द्वारा उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 11.3.2024 को क्रेता के पक्ष में दस्तावेज पंजीकृत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त सम्पत्ति (1) श्री कुलदीप साहू आत्मज छगनलाल साहू, (2) श्री सुरेश मेहरा आत्मज सीताराम (3) श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल आत्मज श्री रमेश चंद्र खण्डेलवाल के संयुक्त नाम हस्तांतरण का प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त सम्पत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी,
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र-2 भोपाल
250

कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र-2 भोपाल

आम सूचना

सतलापुर हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, मण्डीदीप जिला रायसेन में भूखण्ड क्रमांक एम.आई.जी. आई/57 ए-सेक्टर मण्डल द्वारा श्री मुरारी पारीक आत्मज श्री प्रहलाद राय पारीक के नाम हस्तांतरण आदेश क्र. 6990 दिनांक 1.12.2023 को हस्तांतरित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 12.7.2022 को उप पंजीयक कार्यालय औबेदुल्लागंज जिला रायसेन से पंजीकृत है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, परिचय पत्र, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त सम्पत्ति श्री सौरभ तिवारी आत्मज श्री मणिशंकर तिवारी के नाम हस्तांतरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं एवं उप पंजीयक कार्यालय औबेदुल्लागंज जिला रायसेन द्वारा उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 21.2.2024 को क्रेता के पक्ष में दस्तावेज पंजीकृत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त संपत्ति श्री सौरभ तिवारी आत्मज श्री मणिशंकर तिवारी के नाम हस्तांतरण का प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त सम्पत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी,
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र-2 भोपाल
251

कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, नेहरू नगर भोपाल (म.प्र.) में स्थित शेड क्रमांक एस/1114 मण्डल द्वारा श्रीमती हंसो बाई पत्नी स्व. श्री घासीराम कश्यप के नाम से नामांतरित है। उक्त सम्पत्ति का आवंटन दिनांक 1.1.1983 को किया गया है। श्रीमती हंसो बाई का स्वर्गवास दिनांक 5.7.2000 को व उनके पति श्री घासीराम कश्यप का स्वर्गवास दिनांक 24.11.1997 को हो गया है। श्रीमती हंसो बाई ने अपने जीवनकाल में उक्त संपत्ति की वसीयतनामा श्री सतीश कश्यप के पक्ष में दिनांक 19.4.2000 को किया गया है। आवेदक श्रीमती मनोरमा कश्यप पत्नी स्व. शम्री सतीश कश्यप द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मण्डल का निर्धारित आवेदन पत्र, अन्य वारिसों के अनापत्ति शपथ पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त संपत्ति अपने नाम से नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ संस्था/ वित्तीय संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी,
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र-1, भोपाल
252

कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, भोपाल

आम सूचना

फ्लैट क्रमांक ए-15 द्वितीय तल स्थित माचना कालोनी शिवाजी नगर भोपाल मण्डल द्वारा श्री बालकृष्ण शर्मा आत्मज स्व. श्री रामप्रसाद शर्मा निवासी सांची खंड राजभवन परिसर हुजूर भोपाल (म.प्र.) मे 462003 के नाम आवंटित है। श्री बालकृष्ण शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 20.08.2010 को हो गया है एवं उनकी पत्नी श्रीमती गिरिजा बाई का स्वर्गवास दिनांक 26.5.2021 को हो गया है। उनकी पुत्री श्रीमती विजयलक्ष्मी वरगले पत्नी श्री सुभाष कुमार बरगले निवासी सांची खंड राजभवन परिसर हुजूर भोपाल (म.प्र.) 462003 के द्वारा उक्त सम्पत्ति को स्वयं के नाम नामांतरण हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। श्रीमती विजय लक्ष्मी बरगले पत्नी श्री सुभाष कुमार बरगले द्वारा आवेदन-पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र आदि दस्तावेज प्रमाणीकृत प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति स्वयं के नामांतरण करने हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था/ उत्तराधिकारी/ अन्य को कोई आपत्ति है तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर मय सबूत के कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत करें अन्यथा अवधि व्यतीय होने के उपरांत नाम विलोपन की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

सम्पदा अधिकारी,
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र-1, भोपाल
253